संख्या- 10 /2026/ 3778 /चार-2025-1948348

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 12 जनवरी, 2026**

विषय- प्रदेश की चयनित ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाद्ययंत्र सेट क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3777/सं0नि0-15(48)/2025-26, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-275/2025/ 2217/ चार-2025-1948348 दिनांक 23 जुलाई, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक कलाकारों को ग्राम पंचायतों के समन्वय से वाद्य-यंत्र क्रय कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन लि0 द्वारा उपलब्ध कराई गई टाईप-ए की दर रू0 45,920/- के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 1152 वाद्य यंत्र सेट के क्रय किये जाने हेतु रू0 529.26 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक कलाकारों को ग्राम पंचायतों के समन्वय से वाद्य-यंत्र क्रय कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन लि0 द्वारा उपलब्ध कराई गई टाईप-ए की विशिष्टियों सहित रू0 45,920/- प्रति वाद्य यंत्र सेट की दर के सापेक्ष टाईप-ए की विशिष्टियों सहित रू0 30,000/- प्रति वाद्य यंत्र सेट की दर से 1666 वाद्य यंत्र सेट (हारमोनियम, ढोलक, झींका, मंजीरा व घुंघरू) क्रय किये जाने पर होने वाले व्यय **रू0 499.80 लाख (रूपये चार करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक कलाकारों को ग्राम पंचायतों के समन्वय से वाद्य-यंत्र क्रय कर उपलब्ध कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या-275/2025/ 2217/ चार-2025-1948348 दिनांक 23 जुलाई, 2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) शासन के पत्र संख्या- 3340/चार-2025-1948348 दिनांक 21.11.2025 द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार वाद्य यंत्र का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा व्यय की गई धनराशि का सम्पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-800 अन्य व्यय-15-लोक कलाकारों को वाद्ययंत्र हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 10 /2026/ 3778 (1) /चार-2025-1948348 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in